भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

हरियाणा HARYANA

D 038250

पटटानामा म्यादी 50 साल दिनांक 20–07–2015 से 19–07–2065 तक भूमि वाक्या ग्राम भावदीन हदबस्त नं0 0065 तहसील वा जिला सिरसा, जर ठेका बिलमुक्ता 24,000/–रु0 वार्षिक, रुबरु एस. आर. निल, स्टाम्प 3,000/–रुपये, (1000/3) किते–3 स्टाम्प सीरियल नं0 6814 दिनांक 31–07–2015 जारी कर्दा श्री हरकिशन लाल सेठी स्टाम्प विकेता सिरसा

हम रमिन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री लछमन सिंह निवासी ग्राम भावदीन तह0 वा जिला सिरसा खुद वा बतौर मुखत्यारे आम मिन सन्तोख सिंह उर्फ सन्तोष सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री लछमन सिंह हकीकी भाई खुद बरूये मु0 नामा आम नं0 291 रजिस्टरीशुद्वा दिनांक 08–10–1999 सब रजिस्ट्रार सिरसा, वा श्रीमति रणजीत कौर पत्नी श्री रमिन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी ग्राम भावदीन तह0 वा जिला सिरसा (फरीकैन अव्वल (प्रथम पक्ष) पटा देहिन्दागान), जो कि मु0 आम सन्तोख सिंह उर्फ सन्तोष सिंह आज तक जीवित है, और सन्तोख सिंह उर्फ सन्तोष सिंह का दिया हुआ मु0 नामा आम आज तक मेरे हक में कायम है, कैन्सल ना हुआ है,............व गुरूनानक ऐजुकेशन सोसाईटी ग्राम भावदीन तह0 वा जिला सिरसा फरीक दोयम पटटा गरीन्दा .... के है, जो कि वाक्या ग्राम भावदीन हदबस्त नं0 0065 तहसील वा जिला सिरसा भूमि खेवट नं0 772 मिन खतौनी नं0 922 मिन मुरबा नं0 179 किला नं0 18 मिन दक्षिण (4–0), 23/1 मिन पश्चिम (6–0), रकबा 10 कनाल 0 मरले मलकियती नं0 1 रमिन्द्र सिंह वा सन्तोख सिंह उर्फ सन्तोष सिह की हिस्सा बराबर जमाबन्दी साल 2012–2013 के अनुसार, वा खेवट नं0 1044 मुरबा नं0 189 किला नं0 3 रकबा 8 कनाल 0 मरले का 4/5 भाग बकदर रकबा 6 कनाल 8 मरले, जानिब पश्चिम मलकियती नं0 1 रमिन्द्र सिंह का 1/5 भाग बजरीया जमाबन्दी साल 2012–2013 के अनुसार, वा नं0 3 रणजीत कौर का 3/5 भाग बजरीया इन्तकाल नं0 5015 मन्जुरशुद्वा दिनांक 06–07–2015 के अनुसार, कुल रकबा 16 कनाल 8 मरले, फरीकैन अव्वल पटा देहिन्दागान की अन्दर हक मलकियत और कब्जा में है, जो बिला बार वा बिला तनाजा है, भूमि सरपलस में ना है, भूमि हरियाणा लैण्ड सिलिग एकट नये वा पुराने के

रमिन्द्र सिंह खुद नं0 1, वा बतौर मु0 आम फरीक अव्वल नं0 2, (पटा देहिन्दा) | रणजीत कौर फरीक अव्वल नं0 3

2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

हरियाणा HARYANA D 038251

[illegible] है, फरीकैन अव्वल को भूनि के इन्तकाल का हक हासिल है, कोई कानूनी रूकावट भूमि उक्त को पटा पर देने में ना है, किसी हुक्म अदालत महकमा बैंक फर्म के तहत ना है, ना ही इसका सौदा बैय फरीकैन अव्वल ने किसी तौर पर किसी दिगर के साथ ही कर रखा है, ना ही किसी को कब्जा वार या बिला कब्जा वार रहन कर रखी है, भूमि फरीकैन अव्वल की खुद काश्ता है, ना ही कोई दावा किसी प्रकार का किसी न्यायालय में विचाराधीन है, सो मैं रमिन्द्र सिंह खुद फरीक अव्वल नं0 1 वा बतौर मु0 आम सन्तोख सिंह उर्फ सन्तोष सिंह फरीक अव्वल नं0 2, वा रणजीत कौर नं0 3 ने स्वयं भूमि रकबा 16 कनाल 8 मरले, जिसमे **मौका पर कुछ हिस्सा में रिहायशी गैर रिहायशी जो भी बिल्डिंग तामीरशुद्वा है, बाकी हिस्सा ओपन है,** मय जुमला हक वा हकूक हर प्रकार वार पानी नहरी रास्ताजात सालम, बिजली–पानी कनैक्शन वगैरा के साथ जर ठेका 24,000/–रुपये आधे जिसके 12,000/–रु0 होते हैं **वार्षिक ठेका की दर से पटटा पर दिनांक 20–07–2015 से 19–07–2065 तक 50 वर्ष के लिए** गुरूनानक ऐजूकेशन सोसाईटी ग्राम भावदीन तह0 वा जिला सिरसा फरीक दोयम पटटा गरीन्दा, को दे दी है, और कब्जा मौका पर फरीक दोयम को उपरोक्त भूमि का दे दिया है, फरीक दोयम उपरोक्त भूमि को काशत करे, या भूमि कोई निर्माण करे, बिजली कनैक्शन लेवे, टैलीफोन कनैक्शन लेवे भूमि को जिस तौर पर भी चाहे इस्तेमाल मे लावे, हर प्रकार से किसी भी विभाग से मंजूरी लेवे, हर प्रकार महकमाजात एजूकेशनल वा नान एजूकेशनल से हर प्रकार की परमिशनस वा लाईसेंस वा मान्यताएँ हासिल करे, रिन्यू करावे, वा अन्य जो भी आवश्यक कार्यवाही फरीक दोयम करें, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था को किराये पर देवे, किसी प्रकार का कोई भी एग्रीमैन्ट करे, किसी भी बैंक/फर्म से वितिय सहायता/लोन लेवे, लोन लेने हेतू भूमि उक्त मौडगेज डीड (**Mortgage Deed**), को कार्यालय सब रजिस्ट्रार ईलाका में पंजीकृत करे, वा लोन लेने सम्बधित हर प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करे, हर प्रकार के बिलस फरीक दोयम स्वयं अदा करेगा, फरीक अव्वल का कोई एतराज ना होगा, जर ठेका वार्षिक **24,000/–रु0** फरीक दोयम, फरीक अव्वल को बजरीया रसीद हर साल मियाद तक **जुलाई माह की 20 तारीख** तक अदा करेगी, जुबानी कोई रकम मुजरई ना होगी, यदि फरीक दोयम वार्षिक ठेका मुझे/फरीक अव्वल को अदा ना करेगी, तो फरीक अव्वल अपना जर ठेका वार्षिक

रमिन्द्र सिंह खुद नं0 1, वा बतौर मु0 आम फरीक अव्वल नं0 2, (पटा देहिन्दा) — रणजीत कौर फरीक अव्वल नं0 3 ...3

Ranjit

Rsingh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

हरियाणा HARYANA

D 038252

-3-

बजरीया अदालत दिवानी सिरसा वसूल कर सकेगा, दावा की सुरत में जुमला हर्जा खर्चा अदालत बाबत वसूल जर ठेका फरीक अव्वल का फरीक दोयम के जिम्मे होगा किन्तु पटा हजा कैन्सल ना होगा फरीक दोयम उपरोक्त भूमि को जिस तरह भी चाहे इस्तेमाल मे लावे बाद म्याद 50 वर्ष फरीक दोयम भूमि खाली करके अपनी तरकीयात हर प्रकार उठा करके कब्जा खाली भूमि का फरीक अव्वल के हवाले कर देगा यदि फरीक अव्वल को बाद म्याद फरीक दोयम की बेदखली करानी पडे तो हर्जा खर्चा का जिम्मेवार फरीक दोयम होगा, लेकिन मैं/फरीक अव्वल म्याद से पहले भूमि फक नही करवा सकेगा, फरीक दोयम भूमि को जिस तौर पर चाहे इस्तेमाल मे लावेगा मेरा/फरीक अव्वल का कोई एतराज ना होगा, मियाद खत्म होने पर फरीक दोयम कब्जा खाली भूमि वा जो तरकीयात फरीक दोयम ने उक्त भूमि पर लगाई होगी वह उठा लेगी, फरीक अव्वल वा फरीक दोयम के कायम मुकामान वारसान शरायत पटानामा के काबले पाबन्द होगे, अगर बाद रजिस्टरी कोई तनाजा किसी प्रकार का भी होगा नुक्स मलकियती वाक्याती या बार पाया गया या कब्जा पटा गरीन्दा का भूमि उपरोक्त से उठ जावे तो मैं फरीक अव्वल हर प्रकार से जबाब देह जिम्मेवार रहूगां, फरीक दोयम पटा गरीन्दा बरी रहेगा, यह पटटानामा मियादी 50 वर्ष अपने अक्ल वा होश से तहरीर करवा दिया है, कि प्रमाण रहे दिनांक-:04-08-2015

विषय प्रलेख फरीकैन अव्वल(पटा देहिन्दागान) के कथनानुसार बाहक फरीक दोयम (पटा गरीन्दा) गवाहान के सामने बोलकर कम्पयुटर द्वारा तैयार करवाया गया पढकर सुनाया वा समझाया गया सुन वा समझकर सही माना है

Drafted by
Vimal [signature]
Advocate
Sirsa 4/8/15

371

ड्राफटिड बाई-विमल जसूजा एडवोकेट सिरसा

रमिन्द्र सिंह खुद नं0 1, वा बतौर मु0 आम फरीक अव्वल नं0 2,(पटा देहिन्दा), रणजीत कौर फरीक अव्वल नं0 3

[signature] [signature: Ranjit]

प्रीत देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलबीर सिंह बतौर Executive Member
गुरुनानक ऐजुकेशन सोसायटी ग्राम भावदीन तह0 सिरसा, फरीक दोयम

[signature] [signature]

गवाही-
श्री जगजीत सिंह नम्बरदार
ग्राम भावदीन तह0 सिरसा
[signature: Jagjit Singh]

गवाही-
विजय कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल
निवासी भावदीन तह0 सिरसा
[signature: Vijay Kumar]

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
4,488	2015-2016	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

पटटा देने वाला	रणजीत कौर
पटटा देने वाला	रमिन्द्र सिंह खुद व मु0 आम
पटटा लेने वाला	प्रीत इन्द्र सिंह Exe. Member (
गवाह	जगजीत सिंह नम्बरदार
गवाह	विजय कुमार

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख कमांक 4,488 आज दिनॉक 04/08/2015 को बही नः 1 जिल्द नः 620 के पृष्ठ नः 103 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 8,816 के पृष्ठ सख्या 49 से 50 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनॉक 04/08/2015

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

सिरसा